वार्षिक रिर्पोट 2003 – 2004

सतत विकास संस्थान

दूरदर्शन केन्द के पास, जगदम्बा कॉलोनी
करौली (राजस्थान) 322 241
टेलीफैक्स : 07464–250288, ई–मेल: socsd@sancharnet.in

अध्यक्ष की कलम से .....

विकास एक निरन्तर प्रक्रिया है, इसके लिए दृढ़ संकल्प व इच्छा शक्ति आवश्यक है। इस बात की भी आवश्यकता है कि लोक कल्याणकारी योजनाओं का सृजन तथा क्रियान्वयन जन आकांक्षाओं के अनुरूप हो तथा उनमें जन सहभागिता का समावेश हो। फलत: सर्वांगीण विकास की परिकल्पना तब तक साकार नहीं हो सकती जब तक कि गांव एवं ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी जावे। मुझे प्रसन्नता है कि सोसायटी फॉर सस्टेनेबल डिवलपमेंट, करौली के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में उपेक्षित और अभिवंचित वर्ग के लिए अपनी मौलिक सोच के अनुसार कार्य कर रही है। संस्था अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करती जा रही है।

ग्रामीण विकास से ग्राम स्वराज्य की कल्पना को साकार करने के लिए संविधान में ७३वां संशोधन कर सत्ता का विकेन्द्रीकृत किया है। ग्रामीण विकास में पंचायतों को जनता के प्रति सीधा जबाव देह बनाया गया हो। मुझे खशी है कि संस्था द्वारा अपने तय उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु इस वर्ष पंचायतों को सशक्त करने के लिए कार्य क्षेत्र में पंचायत संदर्भ केन्द्रों की स्थापना की है। यह केन्द्र पंचायती जन प्रतिनिधियों व समुदाय के मध्य सेतु का कार्य कर सकेंगे। इस कार्य में समान उद्देश्य वाली राष्ट्रीय संस्थाओं ने विभिन्न परियोजनाओं में में आर्थिक सहायता तथा मार्ग दर्शन देकर संस्थान को सहयोग दिया है जो सराहनीय है। इनके सहयोग के अभाव में यह कार्य दुष्कर सिद्ध होते।

विगत दशक में संस्था द्वारा जिले में गरीब और उपेक्षित लोगों तथा जिला प्रशासन के मध्य एक ठोस पहिचान बनाई है। यह संस्था की टीम भावना का ही परिणाम है कि उसे जिला व राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यों हेतु प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। एतदर्थ में समग्र परिवार को हार्दिक साधुवाद प्रदान करता हूँ ।

शुभकामनाओं के साथ

ईश्वरी प्रसाद शर्मा
अध्यक्ष

सोसायटी फॉर सस्टेनेबल डिवलपमेंट, (सतत विकास संस्थान) करौली की स्थापना 1994 में हुई। इसका पंजीकरण राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत 26 मई 1994 को हुआ। भारत सरकार के गृह मन्त्रालय में विदेशी अभिदाय नियन्त्रण अधिनियम तथा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत भी संस्थान पंजीकृत है।

संस्था की दृष्टि – एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें न्याय, शान्ति व समानता हो।

संस्था का लक्ष्य – सबसे उपेक्षित एवं गरीबों का सर्वांगीण मानव विकास के माध्यम से उनकी क्षमता बढ़ाकर उनके जीवनयापन के साधनों को उन्नत करना।

संस्था के उद्देश्य –

- सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन के माध्यम से गरीबी को कम करना व आर्थिक विकास करना।
- सतत विकास के लिये ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं में बचत व ऋण गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण समुदाय में स्वास्थ्य सम्बन्धी गरीबी के कारणों का विश्लेषण करना व उन्हें दूर करना।
- स्थानीय स्वाशासन को मजबूत करना।

रणनीति – संस्था का विश्वास है कि लोगों की क्षमता को विकसित कर उन्हें समग्र विकास की जानकारी प्रदान करने से विकास की प्रकिया में गरीब सहभागी हो सकते हैं तथा समुदाय को विकास मार्ग पर आगे ले जाया जा सकता है। संस्था कार्य की प्रकिया में समुदायिक संगठनों को आधार मानकर शुरूआत करती है। महिलाओं में स्वयं सहायता समूहों के गठन से विकासीय कार्यों की गति सतत व स्थाई रहती है। संस्था विकास में महिलाओं की भागीदारी के लिये महिला समूहों को आधार मानकर ही कार्य करती है। संस्था सरकार व जिला प्रशासन के समन्वय के साथ कार्य करने में विश्वास रखती है।

कार्यक्षेत्र – सर्वप्रथम संस्था द्वारा कार्य करने हेतु करौली जिले के सपोटरा ब्लॉक के कैलादेवी वन्यजीव अभ्यारण क्षेत्र को चुना गया। यह क्षेत्र जिले में सबसे पिछड़ा व डाँग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की निभैरा पंचायत में स्थानीय समुदाय व वन विभाग के मध्य सेतु स्थापित करने, लोगों की प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन में क्षमता विकास, स्थानीय महिला संगठनों के सशक्तिकरण व पंचायती राज के मुद्दों के कार्य करना आरम्भ किया गया। एक दशक पश्चात संस्था आज करौली जिले की दो पंचायत समिति सपोटरा व करौली में कार्यरत है जिसमें सपोटरा बलॉक की 17 पंचायतों तथा करौली विकास खण्ड की 23 पंचायतों में प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन, महिला सशक्तिकरण, स्वशासन सशक्तिकरण में जिला प्रशासन से समन्वय व उसे प्रेरित करते हुये गतिशील है।

आजीविका विकास कार्यकम

प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन – करौली जिले के दक्षिणी भाग में कैलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। यहां के निवासियों के आजीविका के स्त्रोत मुख्यतया पशुपालन व कृषि रहे हैं। संस्था द्वारा 1994 से जब इस क्षेत्र में प्रवेश किया तो, लोगों की आर्थिक कमजोरी के कारणों का विश्लेषण कर पता लगाया। इनमें सबसे प्रमुख कारण ग्रामीणों के आजीविका संसाधनों के सामुदायिक प्रबन्धन का अभाव रहा है। संस्था द्वारा लोगों के आजीविका के संसाधन जिनमें प्राकृतिक संसाधन प्रमुख थे को सामुदायिक प्रबन्धन करने का सुझाव दिया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संस्था द्वारा लोगों में सामुदायिक संगठनों का विकास जिसमें ग्राम विकास समितियां व महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन प्रमुख रूप से था, के लिये पहल की गई। महिलाओं की प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन में भागीदारी को प्रमुखता दी गई। इस प्रकार क्षेत्र के निभैरा, दौलतपुरा व राहिर पंचायत के गांवों में महिलाओं की सशक्त भागीदारी द्वारा स्वयं

सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय पोखरों के गहरीकरण, चारागाह विकास, बंजर भूमि सुधार, पशुपालन विकास के कार्य सम्पन्न हो सके।

भौतिक गतिविधियां – इसके अन्तर्गत लोगों के जल संग्रहण के स्त्रोतों के जीर्णोद्धार, बंजर भूमि विकास तथा चारागाह विकास के कार्य सम्पन्न हुये, जो पूर्ण सामुदायिक सहभागिता के साथ थे।

(क) पोखर गहरीकरण – इस वर्ष दौलतपुरा पंचायत के पहाड़पुरा, नैनियाकी, रसीलपुर, पाटोरन व दौलतपुरा गांवों में संस्था द्वारा सीधी सहायता द्वारा स्थानीय गरीब लोगों के आजीविका के प्रमुख संसाधन विकास हेतु पोखरों के गहरीकरण व मरम्मत का कार्य सम्पन्न हुआ। निम्न तालिका द्वारा पोखर गहरीकरण के कार्यों को दर्शाया गया है –

क.सं.	गांव का नाम	पोखर संख्या	कुल कार्य (घन फिट)	संस्था सहयोग राशि (रू.)	जन सहयोग (रू.)
1.	पहाड़पुरा	3	38007	15,000	15565
2.	नैनियाकी	1	12630	4998	5102
3.	रसीलपुर	1	12576	5000	5060
4.	पाटोरन	1	10069	4980	3051
5.	दौलतपुरा	1	10075	5000	5075

क्षेत्र में जल संग्रहण के सम्पन्न हुये कार्यों से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार स्पष्ट दृष्टि गोचर हुआ है। इन कार्यों को सफलता पूर्वक सम्पन्न कर अनेक परिवारों द्वारा अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाया, जिससे उनका आर्थिक स्तर पूर्व की अपेक्षा सुधरा है।

"हल्की पत्नि हरिचरण मीणा निवासी बीचकापुरा राहिर द्वारा उनके सिंचाई का साधन पोखर, जो पहले मिट्टी भरने के कारण कम गहरी थी, को समूह की बैठक में गहरा करने हेतु प्रस्ताव लिया। यह गरीब परिवार की महिला है। सिंचाई के पानी के अभाव में इनके यहां इतनी कम पैदावार होती थी जो कि परिवार को खाने लायक भी नहीं हो पाती थी। इनके द्वारा पोखर पर 21250 घनफिट मिट्टी खुदाई का कार्य किया गया। इस कार्य में संस्था से इनको 5000 रू. का आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ। इस कार्य में 12,000 रू. की लागत का इनके परिवार द्वारा श्रमदान किया गया। इस वर्ष अच्छी वर्षा के फलस्वरूप इनकी पोखर में अधिक पानी भरा जिससे, खरीफ फसल में 12 क्विंटल धान पैदा हुआ। जो पूर्व के उत्पादन से दुगना था। इसमें पानी शेष रहने से रबी की फसल में 8 क्विंटल गेहूँ उत्पन्न हो सके। इससे इन्हें 8000 रू. का अतिरिक्त लाभ हुआ। इस अतिरिक्त लाभ का उपयोग इन्होने, अपने परिवार पर चढ़े हुये ऋण को चुकाने में किया।"

इसी प्रकार इस वर्ष दौलतपुरा पंचायत के 87 परिवारों ने पोखर गहरीकरण व मरम्मत का कार्य कर अपनी 355 बीघा भूमि में, सिंचाई सुविधा होने के कारण उत्पादन का लाभ लिया। क्षेत्र के गांवों में पोखर गहरीकरण का कार्य संस्था के अतिरिक्त कृषि विभाग से समन्वय द्वारा फार्म पौण्ड़ योजनान्तर्गत भी सम्पन्न हुआ है।

(ख) चारागाह विकास – ग्रामवासियों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन है। इस क्षेत्र में चारे का महत्व प्रमुख है। क्षेत्र में कई वर्षों से चारे की त्रासदी रही है। संस्था ने लोगों से अलग–अलग वार्ताओं में चारे के संकट के कारण का पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि लोगों के सामुदायिक चारागाह रख–रखाव व उचित प्रबन्धन के अभाव में उजड़े पड़े हैं व अधिकांश लोगों के पास 1 या 2 बीघा भूमि सदैव बंजर पड़ी रहती है। संस्था द्वारा प्रेरणा प्रदान की गई कि स्थानीय चारागाहों का समुदाय आधारित प्रबन्धन

किया जाए, उनमें मिट्टी कटाव को रोका जाए तथा लोगों की निजी जमीन में भू–कटाव को रोककर चारे का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

इस प्रकार संस्था द्वारा निभैरा, दौलतपुरा, चौड़ियाखाता, राहिर गांवों के प्रमुख चारागाहों में मिट्टी कटाव रोकने के कार्य सम्पन्न कराए गये। इन चारागाहों की सुरक्षा व चारे के बंटवारे की जिम्मेदारी ग्रामीणों द्वारा ली गई। इस प्रकार चारागाह प्रबन्धन के कार्यों से चारे की समस्या कम हुई। चारे की उपलब्धता के कारण ऐसे गरीब परिवार जो चारे के मंहगा होने के कारण भैंस नहीं खरीद पा रहे थे, अब ये किसान क्षेत्र में चारे की उपलब्धता होने के कारण भैंस खरीद कर ला सके।

कार्यों के प्रभाव – राहिर गांव में वर्ष 2002 से पूर्व चारे का गहरा संकट रहता था। गांव की परिस्थिति विश्लेषण के बाद तथ्य उभर कर सामने आया कि गांव का सबसे बड़ा चारागाह जो 2000 बीघा में फैला है, उपेक्षा के कारण पूर्णतया उजड़ गया है। उसकी चार दीवारी अधिकांशतया गिर चुकी है। अन्दर की मिट्टी वर्षा के पानी के साथ बहकर जाने लगी है। संस्था द्वारा वहां के लोगों को इसके निर्माण व रख–रखाव हेतु प्रेरित किया गया। काफी प्रयासों के पश्चात गांव की महिलाऐं तत्पर हुई व उन्होने समूह की बैठक कर, इसके लिये विस्तृत रूप रेखा तैयार की तथा पुरूषों का सहयोग प्राप्त करने का निर्णय लिया। ग्राम विकास समिति का गठन किया गया जिसमें महिला पुरूष दोनों की बराबर सहभागिता थी। चारागाह के अन्दर सभी ग्रामीणों द्वारा पत्थर के पगारों का निर्माण किया, जिससे चारागाह से अन्दर से बरसात के कारण कटकर मिट्टी बह न सके। इसकी चार दीवारी को सुधारा गया तथा चार माह इस चारागाह को पूर्ण बंद करने का निर्णय लिया। चार माह पश्चात 15 दिन तक प्रत्येक परिवार द्वारा सम्मिलित रूप से चारा काटकर लाने का नियम बनाया गया।

इस वर्ष की अच्छी वर्षा के फलस्वरूप इस चारागाह में प्रचुर चारा उत्पन्न हुआ, जिसे 15 दिनों तक ग्रामीणों ने काटकर अपने यहां भण्ड़ारण किया। इस गांव में से लखण मीणा का परिवार गरीब स्थिति में था। गांव में चारे के अभाव के कारण यह अब तक भैंस न खरीद सका था। चारागाह में उत्पन्न चारे के समान वितरण के पश्चात इसके परिवार जनों द्वारा भी 15 दिन तक चारा काटकर लाया गया, तब इसने सोचा कि अब भैंस खरीद लाना अच्छा है, क्योंकि उसे साल भर तक खिलाने हेतु चारा उसके पास उपलब्ध है। इसके बाद यह भैंस खरीद कर लाया व अपने परिवार की आजीविका चला रहा है। इसी प्रकार अन्य गांवों में भी चारागाह विकास के फलस्वरूप चारे का उत्पादन बढ़ा है। इस वर्ष (2003–04) में क्षेत्र में चारागाह विकास के कार्य रसीलपुरा, पाटोरन, पातीपुरा, पहाड़ापुरा गांवों में निजी व सामुदायिक रूप से सम्पन्न हुये हैं। इनका विस्तृत विवरण सूची – 1 में दिया गया है।

(ग) खनोटा निर्माण – इस क्षेत्र के ग्रामीण सैकड़ों वर्ष से ही अपने पशुओं को जंगल में खुले रूप में चराते आए हैं। इसके मुख्य दो कारण हैं –

1. पशुओं की संख्या ज्यादा होना।
2. क्षेत्र में सघन वन होना।

धीरे–धीरे वनों का विनाश हुआ तो चारा पूर्व की अपेक्षा कम होता गया, परन्तु पशुओं की संख्या कम नही हुई। ऐसी स्थिति में पशुओं को उचित आहार नहीं मिलता, जिसके परिणाम स्वरूप पशु मरने लगे। कालान्तर में पशुओं की संख्या भी कम होती गई। लोग चारे की कमी के कारण पहले से कम पशु रखने लगे, किन्तु चराने की आदत खुले में चराने की रही। संस्था द्वारा लोगों को प्रेरित किया गया कि वे अपने पशु घर पर ही बाँधें व चारा हेतु पत्थर के खनोटा बनायें। आरम्भ में लोगों ने इस संदेश को सहज नहीं लिया किन्तु एक दो गांवों के प्रगतिशील पशुपालकों के यहां खनोटा निर्माण करने के पश्चात उसके लाभ देखकर अन्य ग्रामीणों द्वारा भी पहल की जाने लगी।

खनोटा से लोगों को लाभ नजर आने लगे। लोगों का मानना है कि इसका सबसे बड़ा लाभ चारे की बचत करना है। खनोटे निर्माण के पश्चात एक गांव के एक पशुपालक द्वारा एक माह में कम से कम 45 से 50 किलो चारा बचाया गया।

वर्ष 2003–04 के अन्तराल में खनोटा निर्माण की प्रगति निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जा रही है –

क्र. सं.	गांव का नाम	खनोटा संख्या	श्रमदान रूपयों में	संस्था द्वारा भुगतान (रूपयों में)	कुल व्यय (रूपयों में)	लाभान्वित परिवार (संख्या)
1.	पाटोरन	37	14800	3700	18500	37
2.	पातीपुरा	1	250	250	500	1

खनोटों के निर्माण के प्रभाव को देखकर ग्रामीणों द्वारा स्वयं इसको तैयार किया जाने लगा है। अधिकांश ग्रामीण दुधारू पशुओं को बाँधकर चारा खनोटे में डालकर खिलाने लगे हैं। इससे उपलब्ध चारे का अच्छा उपयोग होने लगा है।

अन्य गतिविधियां –

1. **क्षेत्र की पारिस्थितिकी विकास समितियों को वन प्रबन्धन हेतु प्रोत्साहन कार्यक्रम –** कैलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य जिला मुख्यालय से 25 किमी. दूरी से आरम्भ होता है। इसका क्षेत्रफल 674 वर्ग किमी. तक है। यह राष्ट्रीय रणथम्भौर उद्यान का बफर भाग है। 1983 में यह संरक्षित क्षेत्र घोषित हुआ था। इसमें 36 गांव अवस्थित हैं। क्षेत्र के गठन से पूर्व भी यहां ग्रामीण जीवन शाश्वत रहा है। आरम्भ से ही लोग वनों को स्वतः संरक्षित करते रहे हैं। इस क्षेत्र में वन विभाग द्वारा वन सम्पदा व जैव विविधता को संरक्षित व संबर्द्धित करने के उद्देश्य से ईको ड़िवलपमेंट प्रोजेक्ट (पारिस्थितिकी विकास परियोजना) 1997 में आरम्भ की गई थी। इसके अन्तर्गत गांवों में ईको ड़िवलपमेंट कमेटी (पारिस्थितिकी विकास समितियां) वन विभाग द्वारा गठित की गई थी जिनका उद्देश्य क्षेत्र की जैव विविधता का संरक्षण व संबर्धन करना तथा वन को सामुदायिक आधार पर संरक्षित करना था।

   संस्था द्वारा गांवों में सामाजिक विकास के कार्य करने के दौरान देखा गया कि यह समितियां केवल पदाधिकारियों तक ही सिमट कर रह गई थी। इनका गठन हुये तीन वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो गया था, किन्तु समुदाय के लोगों को इनका वास्तविक उद्देश्य पता नहीं था। वन विभाग और समुदाय के मध्य इनके गठन के पश्चात वैचारिक खाई और अधिक गहरी हो गई। इस परिस्थिति को दृष्टिगत करते हुये संस्था द्वारा क्षेत्र की दस समितियों के साथ क्षमता संबर्धन के कार्य करने का निश्चय किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के निभैरा, मोरैची, चौड़ियाखाता, रसीलपुरा, मरमदा, रायबेली, बीचकापुरा, बनीजरा, राहिर व दयारामपुरा गांवों की दस पारिस्थितिकी विकास समितियों के सदस्यों की क्षमता संबर्धन करने का निश्चय किया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त दस गांवों के लोगों के साथ निम्न गतिविधियां सम्पन्न हुईं –

   1. सभी सदस्यों को ई.डी.सी. के गठन व उद्देश्यों से अवगत कराना व संशोधित वन आदेशों से अवगत कराना।
   2. वन संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु 10 गांवों के लोगों की पदयात्राऐं दो चरणों में आयोजित की गई, जिनमें वन संरक्षक सवाईमाधोपुर व उपवन संरक्षक करौली भी सम्मिलित हुये।

3. समितियों के पदाधिकारियों की वन संरक्षण व प्रबन्धन हेतु क्षमता संबर्धन कार्यशालायें आयोजित की गई।
4. समितियों के पदाधिकारियों हेतु सूक्ष्म आयोजना व प्रबन्धन विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई।
5. वन संरक्षण पर सामुदायिक पहल के अवलोकन हेतु समिति के पदाधिकारियों का उत्तरांचल में टिहरी गढ़वाल जनपद में क्षेत्र का शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया गया।
6. वन विभाग के पदाधिकारियों व समिति के पदाधिकारियों के मध्य कार्यशालाऐं आयोजित की गई जिनमें लोगों के लम्बित पड़े मुद्दे जैसे वन्य पशुओं द्वारा पालतू पशुओं की हिंसा पर मिलने वाला हर्जाना, ई.डी.सी. सक्रिय करना, लोहे के हलों का वितरण, मवेशी के टीकाकरण मुद्दों को सम्मिलित किया ताकि इनके उपाय हेतु एक सुनिश्चित नीति का निर्माण हो सका।

यह कार्यक्रम एक वर्ष का था। इस संक्षिप्त अन्तराल में इस प्रकार के प्रयासों के कियान्वयन द्वारा उक्त गांवों की समितियों के सदस्यों में वन संरक्षण हेतु एक सकारात्मक बदलाव आया है। जो इस प्रकार है–

कार्यक्रम से आये परिवर्तन

1. स्थानीय महिला पुरूषों में ई.डी.सी. के प्रति समझ विकसित हुई।
2. समुदाय के वन विभाग में लम्बित पड़े प्रकरणों का निस्तारण हुआ।
3. समुदाय द्वारा अपने स्तर से वन संरक्षण व प्रबन्धन की योजना निर्माण सम्पन्न हो सकी।
4. वन विभाग व स्थानीय समुदाय के मध्य एक सकारात्मक तालमेल आरम्भ हो सका।

यह कार्यक्रम एक अल्प अवधि के लिए था। इसी प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता अन्य गांवों की समितियों को भी है।

2. **"कैलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य का पर्यावरणीय इतिहास"** – कैलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य एक संरक्षित क्षेत्र है। इस क्षेत्र के संरक्षित होने के पूर्व से ही स्थानीय समुदाय द्वारा जंगल को संरक्षित किया जाता रहा है। लोगों का दृढ़ विश्वास रहा है कि, यह जंगल इनके पुरखों की सम्पत्ति है व संबर्धन करना इनका कर्तव्य है। लोग प्रारम्भ से वन संरक्षण हेतु ***'कुल्हाड़ी बन्द पंचायतों'*** का आयोजन करते रहे हैं। इस जंगल में सैकड़ों तरह की वनौषधियां विद्यमान हैं, जिसका पारम्परिक रूप से चिकित्सा करने वाले लोग अनेक बीमारियों में उपयोग करते आ रहे हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में विविध प्रकार के वन्य पशु विद्यमान हैं। क्षेत्र का इतिहास अपने में अनेक तथ्यों को समेटे हुआ है किन्तु अब तक किसी भी स्तर पर यहां की जैव विविधता, ऐतिहासिक तथ्यों तथा क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण में निबद्ध रहे स्थानीय संगठनों का अभी तक कोई दस्तावेज तैयार न हुआ।

   संस्था द्वारा इसी दिशा में सोचा गया व वन अभ्यारण के 20 गांवों का इस प्रकार चयन किया जिसमें सम्पूर्ण अंचल का क्षेत्र सन्निहित हो सके। 20 गांवों के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को इसमें सम्मिलित किया व उनके छात्रों व शिक्षकों के माध्यम से क्षेत्र के पर्यावरणीय तथ्यों के संकलन का निश्चय किया। इस कार्यक्रम में छात्रों को सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि, कार्यक्रम की अवधि में छात्रों द्वारा पर्यावरणीय तथ्यों के संकलित करने से, यह छात्र अपने क्षेत्र के पर्यावरणीय इतिहास से परिचित हो सकेंगे व क्षेत्र में अभ्यास कार्य के दौरान इन्हें अपने क्षेत्र की जैव विविधता से साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे छात्रों में वन संरक्षण के प्रति रूचि जागृत होगी।

   संस्था द्वारा लखरूकी, मरमदा, राहिर, निभैरा, नैनियाकी, रावतपुरा, चौड़ियाखाता, दौलतपुरा, कल्याणपुरा, आशाकी, करणपुर, गढ़ी का गांव, घूसई, नानपुर, अमरापुर, महल ढ़ांकरी, डूँगरिया, डाबर तथा कानरदा गांवों के विद्यालयों को सम्मिलित किया। इस कार्य को सम्पादित करने हेतु जिला स्तर पर एक परामर्श समिति का गठन किया, जिसमें विषय विशेषज्ञों को सम्मिलित किया। परामर्श समिति निम्न प्रकार से गठित की गई –

1. श्रीमति लीना शर्मा, व्याख्याता वनस्पति शास्त्र, महाविद्यालय, करौली
2. श्री डॉ. सीताराम खण्डेलवाल व्याख्याता वनस्पति शास्त्र, महाविद्यालय, करौली
3. डॉ. हरिसिंह, सेवा निवृत पशु चिकित्सक
4. श्री दर्शनी लाल शर्मा, सेवा निवृत अध्यापक
5. डॉ. विकास भारद्वाज, परियोजना अधिकारी, सतत विकास संस्थान, करौली

उक्त कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों व समुदाय के सहयोग से क्षेत्र के पर्यावरण सम्बन्धित तथ्यों व इतिहास का संकलन किया। इस संकलन का एक गतिविधि पुस्तक के रूप में प्रकाशन किया गया। यह पुस्तक इस क्षेत्र में नवाचार है, जो कैलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य के ऐतिहासिक तथ्यों व जैव विविधता को अपने में समेटे हुये है।

बचत व साख कार्यक्रम – संस्था द्वारा क्षेत्र में आजीविका के संसाधनों का विकास कार्यक्रम सफलता के साथ संचालित किया गया तो सवाल यह उठा कि आज यह कार्यक्रम परियोजना आधारित संचालित किया जा रहा है। परियोजना समाप्ति के पश्चात यह कार्यक्रम व इन कार्यक्रमों के द्वारा आये समुदाय में परिवर्तन अनवरत रूप से किस प्रकार जारी रह सकेगें। इसी प्रश्न को सोचते हुये संस्था द्वारा एक ऐसे संगठन विकसित करने की आवश्यकता महसूस की गई जो स्थानीय समुदाय की आजीविका के लिये वित्तीय संस्थान का कार्य कर सके तथा साथ ही उनकी घरेलू/विकास समस्याओं के संदर्भ में एक वैचारिक मंच के काम भी आ सके। स्वयं सहायता समूह, उक्त आशय की पूर्ति में सबसे बड़ा शस्त्र साबित हुआ। क्षेत्र की महिलाओं के लिये इस मंच को सर्वाधिक उपर्युक्त समझा।

इस दिशा में संस्था द्वारा 1998–99 से प्रयास किये गये व 8 माह लगातार प्रयास के पश्चात एक स्वयं सहायता समूह का गठन, निभैरा गांव में सम्भव हो सका। एक समूह के गठन से आये अच्छे परिणामों को देखकर उस गांव के अतिरिक्त अन्य गांवों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह गठित होने लगे। इन समूहों में महिलाऐं अपनी–अपनी मासिक बचत करती हैं व बचत के साथ अपनी अन्य समस्याओं जैसे पेयजल, स्वास्थ्य, रोजगार पर परस्पर चर्चा करती हैं। इन समूहों को संस्था के प्रयासों से सम्बन्धित बैंकों में खाते खुलाकर जोड़ा गया।

यह कार्यक्रम जिले की सपोटरा ब्लॉक की 11 पंचायत निभैरा, दौलतपुरा, राहिर, कालागुड़ा, अमरगढ़, बाजना, करणपुर, टोड़ा, महाराजपुरा, नानपुर में तथा करौली ब्लॉक की महोली, कोटा (मामचारी), लौहर्रा, अतेवा, कैलादेवी व चैनपुर पंचायतों में संचालित किया जा रहा है।

सत्र 2003–04 के अन्तर्गत इस कार्यक्रम में राहिर पंचायत में 14 महिला स्वयं सहायता समूहों, नानपुर पंचायत में 24 महिला समूहों, करणपुर पंचायत में 27 महिला स्वयं सहायता समूह, महाराजपुरा पंचायत में 19 समूह तथा अमरगढ़ अमरबाड़, कालागुड़ा, हाड़ौती व बाजना पचांयतों में 27 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कर, सम्बन्धित बैंकों में उनके खाते खुलवाए गये हैं। इसी प्रकार करौली ब्लॉक की कैलादेवी, लौहर्रा, अतेवा, कोटा, महोली, चैनपुर पंचायतों के गांवों में 27 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। वर्ष 2003 के अन्तर्गत बचत व साख कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई प्रगति का विस्तृत ब्यौरा संलग्न सारणी– 2 में दिया गया है।

कार्यक्रम से आये परिवर्तन – यह कार्यक्रम महिलाओं के साथ जिले के सपोटरा व करौली ब्लॉकों में चलाया जा रहा है। सपोटरा ब्लॉक के गांवों में यह कार्यक्रम पिछले 5 वर्षों से संचालित है। इस कार्यक्रम के चलते रहने से क्षेत्र की महिलाओं में बचत की आदत विकसित होने के साथ उनकी सामुदायिक विकास के प्रति सोच में आशातीत वृद्धि हुई है। स्वयं सहायता समूहों का संस्था के प्रयासों से स्थानीय बैंकों से समन्वय हुआ है तथा समन्वय के पश्चात अनेक समूहों को जरूरत आधारित आर्थिक ऋण उपलब्ध हुआ है, जिसे सदस्यों द्वारा आवश्यकतानुसार वितरण कर अपने आजीविका के

संसाधनों को सुधारने के उपयोग में लिया है। इस कार्यक्रम द्वारा क्षेत्र की महिलाओं में प्रमुखतया निम्न परिवर्तन दृष्टि गोचर हुये हैं –

1. महिलाओं में आर्थिक सशक्तता आई है।
2. महिलाओं में निर्णय क्षमता का विकास हुआ है।
3. सामुदायिक विकास में महिलाओं को भागीदारी का एक अवसर मिला है।
4. महिलाऐं पूर्व की अपेक्षा अब संगठित महसूस करती हैं।

आज इस क्षेत्र के अनेक गांवों में महिलाओं में नेतृत्व विकसित हो रहा है। बन्धनपुरा की कौशल्या गुर्जर, झील का पुरा की गयादेवी गुर्जर, राहिर की मोहर बाई मीणा, पाटोरन की प्यारो देवी मीणा, पातीपुरा की ऊगन्ती गुर्जर इसी प्रकार के उभरते नेतृत्व के सटीक उदाहरण हैं, जिनके द्वारा अपने परिवार के आजीविका संसाधनों का विकास, गांव की पेयजल समस्या का समाधान तथा गांव के सामुदायिक चारागाहों का प्रबन्धन, इन्हीं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया गया है।

डाँग क्षेत्र की महिलाओं का कहना है कि समूहों के गठन से पूर्व उन्हें करौली शहर को देखने का अवसर भी नहीं प्राप्त होता था, किन्तु समूहों के माध्यम से न केवल करौली बल्कि अनेक बड़े शहरों जैसे उदयपुर व जयपुर का भ्रमण कर वहां पर चल रहे सहभागी विकास कार्यों का अवलोकन कर सकीं। महिलाओं का कहना है कि, आज उन्हें जिला कलैक्टर, प्रधान, जिला प्रमुख व बैंक अधिकारियों से मिलने में तनिक संकोच नहीं होता है। महिलाऐं इस परिवर्तन का सारा श्रेय समूहों के विभिन्न समय पर आयोजित सम्मेलनों व प्रशिक्षणों से हुये सशक्तिकरण को देती हैं। महिलाऐं आज छोटी व बड़ी जरूरत हेतु सूदखोरों पर आश्रित नहीं रहती हैं बल्कि अपने समूहों से आवश्यकतानुसार ऋण लेकर उसे पूर्ण कर लेती हैं।

सामाजिक विकास

सामाजिक विकास – डाँग क्षेत्र में आजीविका विकास के कार्यक्रमों का संचालन करते हुये संस्था द्वारा क्षेत्र के अन्य सामाजिक मुद्दों को भी छुआ गया। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मानव क्षमता विकास प्रमुख रूप से थे।

(क) शिक्षा विकास कार्यक्रम – क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बहुत कम रहा है। यहाँ पर महिला साक्षरता 5 प्रतिशत से भी कम है तथा पुरूष साक्षरता का स्तर 30 प्रतिशत तक है। क्षेत्र में उच्च प्राथमिक से ऊपर शिक्षा संस्थाऐं बहुत कम हैं, जिसके कारण बालक बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु यहां 30 से 50 कि.मी. दूर तक जाना पड़ता है। कई गांवों में बालिकाओं के लिये प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा की सुविधाऐं भी सुलभ नहीं हैं। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये संस्थान द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के समन्वय से सपोटरा ब्लॉक के दूरस्थ 47 गांवों में प्रारम्भिक शिक्षा के अध्ययन हेतु शिक्षा मित्र केन्द्रों को आरम्भ कराया गया। इन केन्द्रों में स्थानीय शिक्षकों को ग्रामसभा की सहमति से नियुक्त किया गया। वर्तमान में इन केन्द्रों में 1600 छात्र–छात्राऐं अध्ययनरत हैं। इन केन्द्रों के शुरू होने से डांग क्षेत्र में बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने का एक मौका मिला।

(ख) आवासीय बालिका विद्यालय कार्यक्रम – क्षेत्र में आर्थिक संसाधनों के अभाव के कारण 6–14 वर्ष की बालिकाऐं प्राथमिक शिक्षा से वंचित रहती आई हैं। संस्था द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के समन्वय से करणपुर उप तहसील पर ऐसी आयु वर्ग की बालिकाओं हेतु एक आवासीय विद्यालय अप्रैल 2003 में संचालित किया जिसमें 20 गरीब परिवारों की 6–14 वर्ष की बालिकाओं द्वारा छः माह में प्रथम से पांचवी तक की पढ़ाई पूर्ण करने हेतु प्रवेश लिया। यहां पर इनकी आवास व भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। वर्तमान में इन बालिकाओं को विद्यालय व्यवस्था से परिचित कराकर अगली कक्षा

में अन्य विद्यालयों में प्रवेश दिलाया गया है। इस प्रकार 20 बालिकाऐं इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल साक्षर हो सकीं अपितु अपने अध्ययन को अनवरत रखे हुये हैं।

(ग) सामुदायिक स्वास्थ्य प्रबन्धन – यह क्षेत्र वन सम्पदा को अपने में समेटे हुये है। इस कारण यहां के स्वास्थ्य का आधार जड़ी–बूटियों की चिकित्सा पर आश्रित है। क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाऐं 20 कि. मी. की परिधि तक उपलब्ध नहीं रहती हैं। क्षेत्र में प्रसव सुविधा नगण्य हैं। यहाँ प्रसव का आधार परम्परागत दाईयाँ हैं। यह दाईयां भी पूर्णतया अप्रशिक्षित हैं। संस्था द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य प्रबन्धन के क्षेत्र में परम्परागत जड़ी–बूटियों के चिकित्सकों का क्षमता संबर्धन का कार्य किया गया। क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सा में स्थानीय युवकों की क्षमता विकसित करना, क्षेत्र में क्षय रोगियों को चिकित्सा से जोड़ना आदि मुद्दों को प्राथमिकता से लिया गया है।

(घ) मानव क्षमता विकास कार्यक्रम – संस्था द्वारा क्षेत्र में विकासीय कार्यो को गति देने के साथ ही स्थानीय समुदाय एवं कार्यकर्ता की क्षमता विकास का निर्णय लिया। यह क्षेत्र संचार, यातायात की दृष्टि से कटा हुआ है। अतः यहां के निवासियों में विकासीय कार्यक्रमों जैसे सरकारी योजनाओं की जानकारी, आवश्यक विभागों की जानकारी का नितान्त अभाव रहा है। संस्था द्वारा लोगों की क्षमता विकास में ऐसे ही मुद्दों को सम्मिलित किया जो लोगों के दैनिक कार्यो, उनके आजीविका संसाधनों के विकास में उपयोगी हों। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों का प्रबन्धन, लेखा जोखा प्रशिक्षण, कृषि विकास, पशुपालन दक्षता, पंचायती राज जागरूकता, ई.डी.सी. सूक्ष्म योजना व प्रबन्धन प्रशिक्षण आदि विषयों पर समझ बढ़ाने हेतु दक्ष प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया।

इसके अतिरिक्त स्थानीय समुदाय और सरकारी अधिकारियों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिये कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, बैंक अधिकारियों, जिला परिषद अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को गांवों में ले जाकर लोगों से मुद्दे आधारित संवाद आयोजित कराये गये। संस्था द्वारा समुदाय क्षमता संबर्द्धन के साथ ही, क्षेत्रिय स्टाफ की क्षमता संबर्द्धन का भी पूर्ण ख्याल रखा जाता है। इस वर्ष समुदाय व स्टाफ की क्षमता विकास के लिये अनेक कार्यक्रम आयोजित हुये हैं, इन कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी सारणी 3 व 4 में दी गई है।

स्वशासन सशक्तिकरण – संस्था का आरम्भ से ही विश्वास रहा है कि जो भी ग्राम विकास के कार्य आरम्भ हों वह एक सतत प्रक्रिया के तहत होने चाहिए। ग्राम विकास को लगातार चलाये रखने में स्थानीय संगठन व स्थानीय स्वशासन से अच्छा सशक्त माध्यम कोई और नहीं हो सकता। संस्था द्वारा आरम्भ से ही अपने कार्यक्रमों में ग्राम स्वशासन से समन्वय स्थापित किया है। पंचायतों के साथ अपने सम्पर्क अभियान के दौरान संस्था को यह अनुभव हुआ कि पंचायती राज स्थानीय गांव के विकास हेतु सशक्त माध्यम है किन्तु इसके जन प्रतिनिधियों की क्षमताओं में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है, जिस अनुपात में समुदाय की उनसे अपेक्षा बढ़ी है। इस आधार पर संस्था द्वारा पंचायती राज जन प्रतिनिधियों व नगरपालिका पार्षदों की क्षमता संबर्द्धन के कार्य करौली विकास खण्ड में इस वर्ष आरम्भ किये गये हैं।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत करौली विकास खण्ड की 25 पंचायतें तथा सपोटरा विकास खण्ड की दो पंचायतों को चुना गया है। यह पंचायत दलित व महिला प्रतिनिधित्व वाली पंचायतें हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आगे वर्णित गतिविधियां सम्पन्न हुई हैं –

1. **क्षेत्र की आधार भूत सूचना संकलन** – उक्त पंचायतों की पंचायत स्थिति, वार्ड का पूर्ण विवरण, स्थानीय सामुदायिक संगठनों का पूर्ण विवरण, क्षेत्र के आधारभूत ढ़ांचा, स्थाई समितियों के संदर्भ में सूचना, क्षेत्र के लोक मीड़िया संगठनों का विवरण आदि महत्व पूर्ण सूचनाओं को विस्तार से संकलित किया गया है।

2. **स्टाफ का शैक्षणिक भ्रमण** – पंचायत संदर्भ केन्द्र के कार्यकर्ताओं को पंचायती राज पर समझ विकसित करने के लिये गोविन्दगढ़ पंचायत संदर्भ केन्द्र व अलसीसर (झुन्झुनु) पंचायत संदर्भ केन्द्रों की प्रकिया समस्त कार्यकलापों का अवलोकन करने हेतु भ्रमण का आयोजन किया गया। इस भ्रमण के पश्चात कार्यकर्ताओं में पंचायत संदर्भ केन्द्र की अवधारणा, उद्देश्य व प्रकिया के सम्बन्ध में पूर्णतया समझ विकसित हो सकी।

3. **ग्राम सभा, वार्ड सभा सशक्तिकरण कार्यक्रम** – इसके अन्तर्गत करसाई, कैलादेवी व कोटा (मामचारी) पंचायतों में ग्राम सभा व वार्ड सभा के बारे में लोगों में समझ उत्पन्न करने हेतु उक्त तीनों पंचायतों के समस्त वार्डो में निम्न गतिविधियां आयोजित की गई।

(क) नुक्कड़ सभाऐं – इन सभाओं में महिला और पुरूषों को ग्राम सभा व वार्ड सभाओं के उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

(ख) पम्पलेट निर्माण व वितरण – ग्राम सभा व वार्ड सभा की उपयोगता वाले ग्राम स्तर के पम्पलेट निर्माण कर उक्त पंचायतों के गांवों में वितरित किये गये। इनके प्रसार–प्रसार के पश्चात होने वाली ग्राम सभाओं में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ग) लोक कला जत्था कार्यक्रम – कैलादेवी पंचायत के लखरूकी, करसाई पंचायत के करसाई, वामनपुरा तथा कोटा पंचायत के कोटा गांवों में स्थानीय लोक कला जत्थों के द्वारा ग्राम सभाओं की महत्ता, स्वजलधारा योजना की जानकारी लोक गीतों के माध्यम से प्रदान की गई। इन कार्यक्रमों में 1500 महिला पुरूषों ने हिस्सा लिया।

4. **बी.पी.एल. सर्वे के सम्बन्ध में सही जानकारी प्रदान करना** – सभी 25 पंचायतों के अन्तर्गत नवीन बी.पी.एल. सर्वे के सम्बन्ध में पम्पलेट निर्माण कर व प्रसार कर जानकारी प्रदान की गई। पम्पलेटों में नवीन सर्वे के आर्थिक मापदण्ड़ों को भाषा व सरल चित्रों में उद्धृत किया गया, जिससे गांव के आम महिला–पुरूष आसानी से समझ सकें। इन पम्पलेट निर्माण व प्रसार से उक्त क्षेत्र के ग्रामीणों की सर्वे के संदर्भ में समझ विकसित हुई व लोग प्रगणक के आने पर अपनी वस्तु स्थिति पेश कर सके।

5. **महिला सम्मेलन** – अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कैलादेवी, कोटा, अतेवा, लौहर्रा पंचायतों में गठित महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों का सम्मेलन 3 मार्च 2004 को होटल पल्लवी पैलेस कैलदेवी में आयोजित किया गया, जिसमें 175 महिलाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन में प्रिया दिल्ली से सुश्री प्रीति शर्मा, डॉ. वीणा द्विवेदी तथा अंजू द्विवेदी ने संदर्भ चर्चा में भाग लिया। सम्मेलन में महिला समूहों की सदस्यों के अतिरिक्त इन पंचायत की महिला पंचायत जन प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में सामुदायिक संगठनों तथा पंचायती राज संस्थाओं का सामंजस्य के साथ ग्राम विकास में भागीदारी पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा के पश्चात तय किया कि समूह की सदस्य, ग्राम पंचायत के साथ समन्वय स्थापित कर गांव की समस्याओं के समाधान में भागीदारी करेंगी।

6. **पंचायत संदर्भ केन्द्र संचालन** – संस्था द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों तथा आम ग्रामीण महिला पुरूष को पंचायती राज की, जन कल्याणकारी सरकारी योजनाओं की तथा स्वजलधारा योजना की जानकारी उपलब्ध कराने व मार्गदर्शन हेतु करौली, चैनपुर, खेड़िया, निमैरा तथा राहिर मुख्यालयों पर पंचायत संदर्भ केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इन केन्द्रों द्वारा इस वर्ष 20 महिलाओं को विधवा, प्रसूति सहायता व समाज कल्याण सहायता के आवेदन पत्र प्रेषित कराने में सहयोग प्रदान किया तथा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में नर्स व स्वास्थ्य कर्मियों से समन्वय स्थापित कराने, टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित कराने में सहयोग प्रदान किया है। साथ ही इन केन्द्रों द्वारा ग्राम पंचायतों को अतिकमण, पंचायत की आय जैसे मुद्दों पर विधिक परामर्श प्रदान किया गया है।

7. **क्षमता विकास प्रशिक्षणों का आयोजन** – संस्था द्वारा उक्त 25 पंचायतों के महिला–पुरूषों प्रतिनिधियों को पंचायती राज की पूर्ण जानकारी पंचायती राज में हुये 73 वें संशोधन, विभागों के हस्तांतरण तथा स्थाई समितियों के सम्बन्ध में पूर्ण विशेष जानकारी आधारित अनेक प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया है। इन प्रशिक्षणों में पंचायती राज के विशेषज्ञों, संस्था के दक्ष प्रशिक्षकों तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अपनी सहभागिता प्रकट कर प्रशिक्षणों को अर्थपरक बनाया।

नगरपालिका पार्षदों का सशक्तिकरण कार्यक्रम – पंचायत के साथ ही संस्था द्वारा करौली नगरपालिका के महिला व अनुसूचित जाति बाहुल्य वाले वार्डों के पार्षदों का क्षमता विकास कार्य करने का निर्णय लिया। इस कम में इन पार्षदों के आमुखीकरण व परस्पर समन्वय अर्थपूर्ण प्रशिक्षणों का अयोजन किया।

जिला संदर्भ केन्द्र – संस्था द्वारा शहरी निकायों व सामुदायिक संगठनों की क्षमता संबर्धन एवं परामर्श हेतु जिला संदर्भ केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।

प्रशासन से समन्वय – संस्था का विश्वास आरम्भ से ही रहा है कि समग्र विकास की सबसे बड़ी संस्था सरकार है। ग्रानीण तथा शहरी क्षेत्र में लोगों का समग्र विकास का दायित्व भी सरकार का है। संस्था द्वारा जिला प्रशासन के साथ कार्य के आरम्भ से ही समन्वय स्थापित कर ग्राम विकास के कार्यों का कियान्वयन किया है। स्थानीय समुदाय व प्रशासन का समय–समय पर सीधा संवाद, सरकारी योजनाओं की लोगों को अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करना, शुरू से संस्था की कार्यनीति में रहा है। इस नीति के परिणाम अच्छे व उत्साहबर्धक रहे हैं। स्थानीय जिला प्रशासन भी तीव्र गति के साथ कंधे से कंधे मिलाकर संस्था के साथ विकास में सहयोग करने लगा है।

इस वर्ष संस्था द्वारा स्थानीय जिला प्रशासन को ग्रामीण पेयजल के स्थाई समाधान हेतु सुप्त पड़ी हुई स्वजलधारा योजना की जानकारी प्रदान की। जिला प्रशासन, जलदाय विभाग, जिला परिषद, सहकारी विभाग आदि इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी से अवगत कराया। आरम्भ में अनेक विभागों ने इस योजना के संदर्भ में उदासीनता अवश्य दिखाई, किन्तु जिला कलैक्टर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के द्वारा विशेष रूचि व उत्साह दिखाने से इस पर प्रगति हो सकी।

संस्था द्वारा जिला प्रशासन को प्रेरित कर जिला स्तर की समिति को गठित कराया गया। जिले के दूरस्थ गांवों में स्वजलधारा योजना के बारे में पम्पलेट निर्माण एवं वितरण कर लोक कला दल द्वारा प्रचार करके तथा पंचायत संदर्भ केन्द्र द्वारा मार्ग दर्शन कर जिले में स्वजलधारा योजना को प्रसारित किया। संस्था के प्रयासों से 1 वर्ष के अन्तराल में जिले में इस योजना की प्रगति इस प्रकार हुई –

1. जिला जल एवं स्वच्छता समिति का गठन।
2. 10 ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का पंजीकरण हुआ।
3. 50 से अधिक ग्राम जल स्वच्छता समितियों द्वारा पंजीकरण को आवेदन किये गये हैं।
4. संस्था द्वारा, जिला प्रशासन को इस योजना पर प्रसार पुस्तिका का प्रारूप निर्माण कर दिया गया है।
5. संस्था के पंचायत संदर्भ केन्द्र पर 150 गांवों के 1200 लोगों द्वारा स्वजलधारा की जानकारी प्राप्त की गई।
6. ग्राम जल स्वच्छता समिति के पंजीकरण का प्रारूप तैयार कर जिला प्रशासन को दिया गया।
7. दो गांवों में पेय जल योजना का कार्य आरम्भ हो चुका है।

सारणी – 1
वर्ष 2003–2004 के अन्तर्गत सम्पन्न चारागाह विकास के कार्यों पर एक दृष्टि

क्र. सं.	गांव का नाम	कुल कार्य का मान (घनफिट)	श्रमदान (रूपयों में)	भुगतान राशि (रूपयों में)	कुल राशि (रूपयो में)
1.	रसीलपुर	2100 घनफिट	2200	2000	4200
2.	पाटोरन	12800	12800	12800	25600
3.	पातीपुरा	4790	5440	4500	9940
4.	पहाड़पुरा	2380	2280	1800	4080
5.	पहाड़पुरा	1700	1900	1500	3400
6.	पहाड़पुरा	1670	1840	1500	3340
7.	रसीलपुर	600	600	600	1200
8.	पाटोरन	49980	49980	49980	99960

कुल लाभान्वित परिवार – 136
भूमि – 600 बीघा

सारणी – 2
वर्ष 2003 –04 के अन्तराल में बचत एवं साख कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई प्रगति

क्र. सं.	ग्राम पंचायत नाम	पूर्व गठित समूह	नव गठित संख्या	सदस्य संख्या		इस वर्ष कुल बचत	दिया गया ऋण	ऋण वापिस	सहयोग राशि	बैंक में खुले खाते	
				पूर्व सदस्य	नव सदस्य					पूर्व	नये
1.	निभैरा	29	–	394	–	24570	184780	145730	16480	29	–
2.	दौलतपुरा	30	–	357	–	80780	124485	87840	17840	12	–
3.	राहिर	20	14	240	142	10890	180850	76065	24870	14	–
4.	नानपुर	11	24	124	283	38515	9700	2100	700	11	19
5.	करणपुर	5	27	58	293	14897	500	–	200	3	28
6.	टोड़ा	1	22	12	310	11464	–	–	–	1	21
7.	महाराजपुरा, अमरगढ़, अमरबाड़	11	19	110	145	18900	2000	–	300	6	19
8.	बाजना, हाड़ौती, कालागुड़ा	4	23	40	252	38750	8000	–	1300	4	16
9.	करौली ब्लॉक	–	26	0	307	30165	3000	–	800	–	12
	कुल	**111**	**155**	**1290**	**1732**	**238931**	**513315**	**311735**	**96810**	**80**	**97**

सारणी – 3
समुदाय क्षमता विकास

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	स्थान	सहभागी संख्या	विषय	संदर्भ व्यक्ति
1.	स्वयं सहायता समूहों का नेतृत्व विकास	कैलादेवी	28	महिला नेतृत्व विकास	श्री प्रेमशंकर शर्मा, सहयोग, उदयपुर रामफूल बैरागी, एस.एस.डी.
2.	स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों का वार्षिक सम्मेलन	दौलतपुरा	200	समूह संचालन में आ रही समस्याऐं व पंचायती राज	रमेश माली, एस.एस.डी., रामफूल बैरागी, एस.एस.डी., भंवर लाल शर्मा, पूर्व विकास अधिकारी
3.	समूहों के सदस्यों का आमुखीकरण प्रशिक्षण	सपोटरा	31	स्वयं सहायता समूह की अवधारणा	रमेश माली, एस.एस.डी., रामफूल बैरागी, एस.एस.डी, रामरज मीणा, प्रसार अधिकारी, पं.स., सपोटरा
4.	समूहों के सदस्यों का आमुखीकरण प्रशिक्षण	कैलादेवी	36	स्वयं सहायता समूह की अवधारणा	डॉ. विकास भारद्वाज, एस. एस.डी./रामफूल बैरागी, एस.एस.डी.
5.	समूह सदस्यों का क्षमता संबर्द्धन प्रशिक्षण	कानरदा	41	एस.जी.एस.वाई. योजना की जानकारी	रमेश माली, एस.एस.डी., रामफूल बैरागी, एस.एस.डी.
6.	विकास में पंचायती राज की भूमिका	कैलादेवी	43	पंचायती राज के ढ़ाचे की जानकारी	अरूण जिन्दल निदेशक, रामफूल बैरागी, एस.एस.डी.
7.	समूह सदस्यों का क्षंमता संबर्द्धन	घूसई	75	एस.जी.एस.वाई. योजना की जानकारी	रामफूल बैरागी, एस.एस.डी, रमेश माली, एस.एस.डी.
8.	ग्राम विकास समिति प्रबन्धन	कैलादेवी	35	ग्राम विकास में समिति की भूमिका	अरूण जिन्दल/रामफूल बैरागी, एस.एस.डी.
9.	परियोजना कियान्वयन एवं प्रकिया प्रबोधन कार्यशाला	कैलादेवी	41	कियान्वयन व प्रबन्धन वर क्षमता संबर्द्धन	अरूण जिन्दल/रामफूल बैरागी, एस.एस.डी.
10.	लैंगिक संवेदनशीलता आमुखीकरण	कैलादेवी	40	लैंगिक संवेदनशीलता पर समझ विकसित करना	रामफूल बैरागी/ रमेश माली/ अरविन्द राय, एस. एस.डी.
11.	महिला स्वयं सहायता समूह आमुखीकरण	करणपुर	700	समूहों के सदस्यों की समस्याओं पर चर्चा	जिला कलैक्टर एल.डी.एम, रमेश माली, डॉ. विकास भारद्वाज, एस.एस.डी.
12.	सरकारी संवाद	पाटोरन	70	पशु व कृषि विकास पर जानकारी	पशु चिकित्सा अधिकारी, करणपुर, कृषि अधिकारी
13.	सरकारी संवाद	नैनियाकी	55	वन विभाग व कृषि विभाग की जानकारी	इन्द्रपाल सिंह वन विभाग विशन लाल, कृषि विभाग
14.	सरकारी संवाद	पहाड़पुरा	45	कृषि व पशु विभाग की जानकारी	रामफल मीणा कृषि पर्यवेक्षक/भगवान लाल गुप्ता, वरिष्ठ पशु

					चिकित्सक
15.	सरकारी संवाद	रसीलपुरा	38	विभिन्न विभागों की जानकारी प्रदान करना	चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, करौली, पशु चिकित्सा अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक
16.	सरकारी संवाद	पातीपुरा	25	पंचायती राज की योजनाओं की जानकारी प्रदान करना	श्री चन्द करौल, जिला परिषद, करौली
17.	सरकारी संवाद	दौलतपुरा	70	स्वास्थ्य विभाग की जानकारी प्रदान करना	चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, करणपुर, पशु चिकित्सा अधिकारी
18.	सरकारी संवाद	पहाड़पुरा	40	कृषि विभाग से समन्वय	पंचायत प्रसार अधिकारी, करौली/अरूण जिंदल, एस.एस.डी.
19.	वार्ड पंचों की आमुखीकरण कार्यशाला	कैलादेवी	25	पंचायती राज विकेन्द्रीकरण	पंचायत प्रसार अधिकारी, करौली/अरूण जिंदल, एस.एस.डी.
20.	सरपंच आमुखीकरण कार्यशाला	करौली	30	पंचायती राज की जानकारी	अरूण जिंदल, एस.एस.डी., राजेश प्रिया, डॉ विकास भारद्वाज, एस.एस.डी.
21.	लोक कलाकारों द्वारा सॉस्कृतिक कार्यक्रम	लखरूकी, करसाई, कोटा	1500	बी.पी.एल. सर्वे के तथ्यों की जानकारी, स्वजलधारा योजना की जानकारी	स्थानीय लोक कलाकार
22.	नगरपालिका महिला पार्षदों की कार्यशाला	करौली	5	नगरपालिका विषय पर समझ विकसित करना।	राजेश कुमार, प्रिया दिल्ली
23.	महिला पार्षदों की आमुखीकरण कार्यशाला	करौली	10	पार्षदों को अधिकारों व कर्तव्यों से अवगत कराना	राजेश, प्रिया/वीणा द्विवेदी, प्रिया जयपुर
25.	महिला पार्षदों की कार्यशाला	करौली	4	पाषदों को आ रही समस्या पर समन्वय	राजेश, प्रिया
25.	न. पा. करौली वार्ड पार्षदों की कार्यशाला	करौली	22	पार्षदों से परिचयात्मक कार्यशाला	पंकज आनंद/वीणा द्विवेदी/राजेश, प्रिया, अरूण जिंदल, एस.एस.डी.,
26.	प्रिज्मो कार्यक्रम परिचय कार्यशाला	होटल रामविलास पैलेस, करौली	17	पंचायती राज प्रतिनिधियों का सशक्तिकरण	अरविन्द राय/अरूण जिदंल, एस.एस.डी.
27.	सूक्ष्म आयोजना कार्यशाला	होटल रामविलास पैलेस, करौली	36	सूक्ष्म योजना निर्माण	अरविन्द राय, एस.एस.डी., मोहन जी.वी.एन.एमएल., लापोड़िया, जतेन्द्र एस.एस. एस., टोंक
28.	कार्यशाला	करौली	17	प्रिज्मों कार्यक्रम का परिचय	अरविन्द राय, एस.एस.डी.

सारणी – 4
कार्यकर्ता क्षमता विकास

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	स्थान	सहभागी संख्या	विषय	संदर्भ व्यक्ति
1.	समस्या नियोजन व भावी योजना पर	एस.एस.डी., कार्यालय	13	क्षेत्र में समस्या पहचानना व उनका समाधान	श्री अरूण जिंदल, एस. एस.डी.
2.	स्टाफ क्षमता विकास कार्यक्रम	एस.एस.डी., कार्यालय	13	सहभागी ग्रामीण विकास पर समझ विकसित करना	अरूण जिंदल/रमेश माली/डॉ विकास भारद्वाज, एस.एस.डी.
3.	दस्तावेजी प्रशिक्षण	एस.एस.डी., कार्यालय	12	मासिक प्रतिवेदन, एस.एच.जी. रिकार्ड, केस स्टडी, प्रतिवेदन लेखन पर समझ विकसित करना	अरूण जिंदल/डॉ विकास भारद्वाज/रमेश माली, एस.एस.डी.
4.	लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण	एस.एस.डी., कार्यालय	12	लिंग भेद पर समझ विकसित करना	अरविन्द राय/रमेश माली/रामफूल बैरागी, एस.एस.डी.
5.	शैक्षणिक भ्रमण	उरमूल, बज्जू व लूणकरसर	19	ग्राम विकासीय कार्यो के प्रति समझ विकसित करना	उरमूल परिवार के सदस्य
6.	स्वयं सहायता समूह लेखाजोखा प्रशिक्षण	एस.एस.डी., कार्यालय	18	समूहों के दस्तावेजों पर समझ विकसित करना	रमेश माली/अरूण जिंदल, एस.एस.डी.
7.	पंचायती राज एवं जेण्डर विकास (दक्ष प्रशिक्षक प्रशिक्षण)	सन्मति धर्मशाला महावीर जी	10	पंचायती राज के 73वें संशोधन पर समझ विकसित करना व लैंगिक संवेदनशीलता को समझना	सुश्री कमलेश यादव, आई. जी.पी.आर.एस./उर्मिला गोयल, एम.टी./अरविन्द राय, एस.एस.डी.,
8.	सूक्ष्म आयोजना कार्यशाला	पल्लवी पैलेस, कैलादेवी	6	सूक्ष्म आयोजना निर्माण	प्रशिक्षक दल एस.डी.सी., जयपुर
9.	सरकारी विभागों से समन्वय	एस.एस.डी., कार्यालय	18	सरकारी विभागों की ढांचागत जानकारी प्रदान करना	डॉ विकास भारद्वाज/रामफूल बैरागी, एस.एस.डी.,
10.	जल ग्रहण पर राज्य स्तरीय कार्यशाला	एम.एन. सदगुरू फाउण्ड्रेशन, दाहोद	1	जल ग्रहण विकास व भावी रणनीति	दक्ष प्रशिक्षक राजस्थान सरकार
11.	अच्छे शासन पर प्रशिक्षण	एन.पी.सी.सी. डी., दिल्ली	1	संस्थागत शासन व प्रबन्धन पर समझ विकसित करना	दक्ष प्रशिक्षक एन.पी.सी.सी. डी.

संस्था प्रबन्धकारणी

प्रबन्धकारिणी पदाधिकारियों व सदस्यों की सूचि, योग्यता व पता –

क्र. सं.	नम व पता	पद	व्यवसाय
1	श्री ईश्वरी प्रसाद शर्मा पुत्र श्री बद्री प्रसाद शर्मा केशवपुरा, करौली	अध्यक्ष	सेवा निवृत शिक्षा अधिकारी
2	श्री अरूण जिन्दल पुत्र श्री बृजमोहन लाल, साईनाथ खिडकिया, करौली	सचिव	समाज विकास कार्य
3	श्री विष्णु चन्द अग्रवाल पुत्र श्री भैरोलाल, निवासी कैलादेवी	कोषाध्यक्ष	व्यवसाय
4	श्री ओमप्रकाश जी गोयनका पुत्र श्री दामोदर लाल चटीकना, करौली	सदस्य	व्यवसाय
5	श्री डॉ0 पीतम चन्द जी गुप्ता पुत्र श्री भैरोलाल गुप्ता उर्मिला सदन, कलैक्ट्री के पास, करौली	सदस्य	अभियन्ता
6	श्री प्रभुलाल जी गुप्ता पुत्र श्री भौरूलाल जी चौवे पाडा, करौली	सदस्य	लेखा अधिकारी
7	श्री अनिल जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैन दीवान हाऊस के पास, करौली	सदस्य	अभियन्ता

परामर्शदात्री समिति

क.सं.	नाम	पद
1.	श्री सचिन सचदेवा	आगा खान फाऊण्डेशन, अफगानिस्तान
2	सुश्री ज्योत्सना लाल	सलाहकार, जयपुर
3	श्री बिनोय आचार्य	उन्नति, अहमदाबाद
4	सुश्री टिनी साहनी	आगा खान फाऊण्डेशन, नई दिल्ली
5	श्री वेद आर्य	सृजन, नई दिल्ली

सहयोगी संगठन

1. जिला प्रशासन, करौली
2. अरावली, जयपुर
3. स्विस डिवलपमेंट कॉपरेशन., जयपुर
4. प्रिया, नई दिल्ली
5. टाटा ऊर्जा शोध संस्थान, नई दिल्ली
6. राज्य महिला आयोग, जयपुर
7. यूनीसेफ, जयपुर
8. सेवा मन्दिर, उदयपुर
9. उन्नति, अहमदाबाद
10. विनरॉक इन्टरनेशनल, नई दिल्ली
11. इन्टर कॉपरेशन, जयपुर
12. पर्यावरण शिक्षण केन्द्र, अहमदाबाद
13. सर रतन टाटा ट्रस्ट, मुम्बई
14. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यालय, करौली
15. जिला परिषद करौली
16. महिला एवं बाल विकास विभाग, करौली
17. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, करौली

संस्थागत ढांचा